

--:: कार्यालय आदेश ::--

मैं, सुरेश कुमार II, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर एतद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि में माह— **जुलाई 2023** में आवश्यक दंडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन, सुपुर्दगी व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए.एम. से दोपहर 1.00 पी.एम. तक करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ :-

माह : जुलाई 2023

1	02.07.2023	सुश्री मीनाक्षी बिलोची	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर
2.	08.07.2023 09.07.2023	श्रीमती सोनल शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर
3.	16-07-2023	सुश्री शिखा शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसपुर
4.	22-07-2023 23-07-2023	सुश्री मीनाक्षी बिलोची	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर
5.	29-07-2023	श्री दिलीप चौधरी	ग्राम न्यायालय, बिछिवाडा
6	30-07-2023	श्री मुकेश कुमार रेगर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा

- (1) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय प्रश्नात् से प्रारम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।
- (2) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
- (3) किसी दिवस पर तात्कालिक रूप से अवकाश घोषित कर दिए जाने की अवस्था में उस दिवस से पूर्ववत् अवकाश दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करने वाले अधिकारी द्वारा तात्कालिक घोषित अवकाश दिवस पर भी रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
- (4) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का पूर्ण स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।
- (5) प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर से पूर्व अनुमति लेते हुये वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुये ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

SA
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर ।
2. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर, / सागवाडा ।
3. श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय डूंगरपुर ।
4. श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर ।
5. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को अपने अधीनस्थ समस्त थानो को सूचित करने हेतु।
6. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर/सागवाडा ।
7. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याया बोर्ड, डूंगरपुर ।
8. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर/आसपुर/सीमलवाडा ।
9. न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर ।
10. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, आसपुर/विछीवाडा ।
11. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, डूंगरपुर ।
12. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, डूंगरपुर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में ए.पी.पी. की ड्यूटी लगाने की आवश्यक रूप से व्यवस्था करावें।
13. नोटिस बोर्ड ।
14. श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा, डूंगरपुर ।
15. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, डूंगरपुर ।
16. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को वास्ते ऑफिशियल वेबसाईड पर डालने हेतु।
17. कार्यालय प्रति ।

28/6/2023
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)